संख्या-2/2026/100/002-21-4002-002-1-2026

प्रेषक,

कामता प्रसाद सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान,
लखनऊ।

भाषा अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक: 30 अप्रैल, 2026

विषय:- उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ को वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद में प्रथम किश्त की धनराशि रू0 175.00 लाख की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-03/हि0सं0/लेखा/2026, दिनांक 08 अप्रैल, 2026 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ को वचनबद्ध कार्यकलापों व योजनाओं तथा पुरस्कार वितरण हेतु अनुदान संख्या-39 के अंतर्गत गैर-वेतन मद (20) में प्रावधानित धनराशि रू0 700.00 लाख में से प्रथम किश्त के रूप में रू0 175.00 लाख (रूपये एक करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) की धनराशि राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) उपर्युक्त स्वीकृत अनुदान की धनराशि राजकोष से आवश्यकतानुसार आहरित करके नियमानुसार सक्षम अधिकारी की सहमति से व्यय की जायेगी। उक्त अनुदान की धनराशि उ0प्र0 हिन्दी संस्थान द्वारा आहरित की जायेगी और उसका बिल सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि के किसी अंश का व्यय किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा आहरित धनराशि को किसी भी दशा में बैंक अथवा डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समस्त अवशेष धनराशि संस्थान द्वारा समर्पित कर दी जायेगी।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि वचनबद्ध मदों पर वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धित दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत व्यय की जायेगी तथा उक्त अनुदान पर वही

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नियम लागू होंगे जो वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16ए में उल्लिखित नियमावली में दिये गये हैं।

(4) उपर्युक्त स्वीकृत अनुदान को कोषागार से सीधे सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था/पार्टी के खाते में बेनीफिशियरी बनाकर ई-कुबेर प्रणाली के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

(5) इस धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र द्वितीय किश्त की मांग से पूर्व शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,75,00,000 (रुपये एक करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 039 **लेखा शीर्षक** 2202031040500 उ.प्र. हिन्दी संस्थान को अनुदान **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कामता प्रसाद सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-2(1)/2026/100/002-21-4002-002-1-2026, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 हिन्दी संस्थान, लखनऊ।
5- कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1
7- नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेन्ट सिस्टम, भाषा विभाग।
8- भाषा (उर्दू) अनुभाग-4
9- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(रत्नदीप दीक्षित)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।